

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1834 /2020

दिनांक 08.10.2020

श्री मयंक पालीवाल (RJ0871), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़) को दिनांक 24.08.2020 से 27.08.2020 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.08.2020 से 23.08.2020 एवं 28.08.2020 से 30.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पालीवाल की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
08/10/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/40/2015/ 4556

दिनांक 08.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 2889 दिनांक 08.09.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री मयंक पालीवाल (RJ0871), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा (झालावाड़)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।


सहायक रजिस्ट्रार